संख्या-100/2026/316 के-2/22-3-2025-17(124)/2024

प्रेषक,

कमलेश कुमार,

उप सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 लखनऊ दिनांक 08 अप्रैल, 2026

विषय:- केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सीमित सजा से दण्डित सिद्धदोष बंदी सतीश पुत्र श्री रतन सिंह, निवासी जनपद-मथुरा की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधीक्षक, (मु0) कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र संख्या-35546/प्रो0-7/सीमित/एम-30.11.2023, दिनांक-11.12.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सीमित सजा से दण्डित सिद्धदोष बंदी सतीश पुत्र श्री रतन सिंह, जो जावरा, लक्ष्मीनगर खण्ड, थाना-मांट, जनपद-मथुरा का निवासी है। दिनांक 20.05.2012 को बन्दी ने अपने 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर रास्ते में घात लगाकर बैठे तभी वादी गिरीश का लड़का सुभाष दुकान के पास पहुंचते ही वादी के लड़के को सरिया से पीटना शुरू कर दिया और वादी का लड़का बेहोश होकर गिर गया और वादी के शोर मचाने पर अभियुक्तगण वहॉ से भाग गये। सुभाष की उपचार के दौरान दिनांक 21-05-2012 को मृत्यु हो गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण सं0-507/2012 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-304/34, 504 में मा० सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश, मथुरा के आदेश दिनांक 31.01.2019 द्वारा 10 वर्ष के कारावास से दण्डित किया गया। जेल रिपोर्ट के अनुसार बंदी द्वारा दिनांक 25.06.2023 तक 04 वर्ष, 08 माह, 04 दिन की अपरिहार तथा 05 वर्ष, 08 माह, 19 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है तथा बंदी की आयु 35 वर्ष, 10 माह, 22 दिन है।

जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, मथुरा द्वारा बन्दी का अपराध व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में नहीं होने, जेल से छूटने पर पुन: अपराध कर सकने, छूटने पर किसी भी घटना से इंकार नहीं किये जाने की आख्या अंकित करते हुए बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बन्दी ने दिनांक 20.05.2012 को अपने 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर रास्ते में घात लगाकर बैठे तभी वादी गिरीश का लड़का सुभाष दुकान के पास पहुंचते ही वादी के लड़के को सरिया से पीटना शुरू कर दिया और वादी का लड़का बेहोश होकर गिर गया और वादी के शोर मचाने पर अभियुक्तगण वहॉ से भाग गये। सुभाष की उपचार के दौरान दिनांक 21-05-2012 को मृत्यु हो गयी। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी का अपराध व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में नहीं होने, पुन:

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

अपराध करने में अशक्त न होने का अंकन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी सतीश पुत्र श्री रतन सिंह को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अत: उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सीमित सजा से दण्डित सिद्धदोष बंदी सतीश (बंदी संख्या-17364) पुत्र श्री रतन सिंह, निवासी जनपद-मथुरा के फार्म-ए/लाईसेंस पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की फार्म-ए/लाइसेन्स पर मुक्ति श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दिया गया है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

कमलेश कुमार

उप सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, मथुरा।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।

3- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन

4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

ममता श्रीवास्तव

अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है।

शासनादेश संख्या-100/2026/316 के-2/22-3-2025-17(124)/2024

दिनांक 08 अप्रैल, 2026 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सीमित सजा से दण्डित सिद्धदोष बंदी सतीश पुत्र श्री रतन सिंह, जो जावरा, लक्ष्मीनगर खण्ड, थाना-मांट, जनपद-मथुरा का निवासी है। दिनांक 20.05.2012 को बन्दी ने अपने 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर रास्ते में घात लगाकर बैठे तभी वादी गिरीश का लड़का सुभाष दुकान के पास पहुंचते ही वादी के लड़के को सरिया से पीटना शुरू कर दिया और वादी का लड़का बेहोश होकर गिर गया और वादी के शोर मचाने पर अभियुक्तगण वहॉ से भाग गये। सुभाष की उपचार के दौरान दिनांक 21-05-2012 को मृत्यु हो गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण सं0-507/2012 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-304/34, 504 में मा० सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश, मथुरा के आदेश दिनांक 31.01.2019 द्वारा 10 वर्ष के कारावास से दण्डित किया गया। जेल रिपोर्ट के अनुसार बंदी द्वारा दिनांक 25.06.2023 तक 04 वर्ष, 08 माह, 04 दिन की अपरिहार तथा 05 वर्ष, 08 माह, 19 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है तथा बंदी की आयु 35 वर्ष, 10 माह, 22 दिन है।

जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, मथुरा द्वारा बन्दी का अपराध व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में नहीं होने, जेल से छूटने पर पुन: अपराध कर सकने, छूटने पर किसी भी घटना से इंकार नहीं किये जाने की आख्या अंकित करते हुए बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बन्दी ने दिनांक 20.05.2012 को अपने 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर रास्ते में घात लगाकर बैठे तभी वादी गिरीश का लड़का सुभाष दुकान के पास पहुंचते ही वादी के लड़के को सरिया से पीटना शुरू कर दिया और वादी का लड़का बेहोश होकर गिर गया और वादी के शोर मचाने पर अभियुक्तगण वहॉ से भाग गये। सुभाष की उपचार के दौरान दिनांक 21-05-2012 को मृत्यु हो गयी। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी का अपराध व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में नहीं होने, पुन: अपराध करने में अशक्त न होने का अंकन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी सतीश पुत्र श्री रतन सिंह को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा बंदी की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दिया गया है।

कमलेश कुमार
उप सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in